ग्रामीण विकास की परिकल्पना और गांधी

डॉ0 मालती

एसो0 प्रोफे0

समाजशास्त्र विभाग

एन0 ए0 एस0 कॉलेज, मेरठ

Email Id: maltiphoget@yahoo.co.in

सारांश

ग्राम केवल देश के सामाजिक ताने–बाने का आधार ही नहीं, अपितु भारत की विकास उन्मुख एवं समन्वयकारी संस्कृति व उन सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षक हैं, जो देशवासियों को अनेकता से एकता के सूत्र में पिरोते हैं तथा अति विशेष रूप में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करनें की अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ग्राम आधारित उद्यम प्रमुखतः कृषि तथा सहायक या अन्योन्याश्रित लघु उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। किसान और उसके सहयोगी– गांवों में बसने वाले लगभग सभी लोग एक बड़ी सीमा तक, किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उनकी की परस्पर निर्भरता होती है, इसीलिए गांधीजी ने भारत की इस वास्तविक शक्ति की आत्मनिर्भरता के बल पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने की बात कही है। ग्रामोत्थान ही भारत की सच्ची उन्नति की कसौटी है। ग्रामों की अधिकतम आत्मनिर्भरता के लिए ठोस प्रयास आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है, इस संबंध में प्रयास केवल सरकारी स्तर पर अथवा सहायता से ही नहीं, अपितु स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से मस्तिष्क की गहराई के साथ यह सत्यता बैठाकर वांछित है कि स्वदेशी से स्वराज का मार्ग ग्रामों से होकर गुजरता है।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 20.03.2019
Approved: 24.3.2020

डॉ0 मालती

ग्रामीण विकास की परिकल्पना और गांधी

RJPP 2020,
Vol. XVIII, No. 1,
pp.096-095
Article No. 010

Online available at *:*
https://anubooks.com/?page_id=6391

प्रस्तावना

सभ्यता के सहज विकास के क्रम में आदमी ने जहां रहना शुरू किया, वह गांव था। गांव के पास स्थाई प्राकृतिक संसाधन हैं– जल, जंगल और जमीन। गांधी कहते हैं कि इन्हीं संसाधनों का मनमाना दोहन करके तो हमने औद्योगिक क्रांति के बाद का संसार बनाया है। हमने चूक यही कि की मशीनें, कारखाने, परियोजनाएं आदि सब जहां हमने स्थापित की जहां लोग नहीं थे। शायद निर्बाध गति से निर्माण की सुविधा के लिए ऐसा किया परंतु इसके भयंकर दुष्परिणाम हुए। परिणाम स्वरूप परंपरागत समाज की चालक शक्ति (मेहनतकश, उत्पादनकर्ता) के स्थान पर इस क्रांति में पूंजी के मालिक को समाज का चालक बना दिया जिसने परंपरागत अर्थव्यवस्था के समूचे द्वार बंद कर दिए परंपरागत अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने लगी तो फिर यह उस ढांचे को खड़ा करने की निश्चित अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का विचार शुरू हुआ जो वर्षों पूर्व दिए गांधी दर्शन था

आज सारी दुनिया आर्थिक मंदी से घिरी हुई। इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसी मंदी ने संसार को घेरा है तो प्रत्येक देश अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के बारे में मंथन करने लगा है। विशेषतः भारत के संदर्भ में हमारा समृद्ध गांधी दर्शन हमें अपनी आवश्यकता और उसकी पूर्ति के साधनों पर विस्तृत प्रकाश डालता है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को उन्हें खड़ा करने के लिए ग्रामों को आत्म निर्भरता के अतिरिक्त और कोई विकल्प सामने नहीं आता है। गांधी जी अपने स्वदेशी के माध्यम से व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पहचान कर उसकी पूर्ति के लिए ग्रामीण व्यवस्था को ही एक इकाई के रूप में देखते हैं।

आर्थिकी के पहलू पर गांधी जी की एक अपनी अलग सोच थी, उनका मानना था इसका स्वरूप विकेंद्रित होना चाहिए। वैसे भी विलासिता वाली अर्थव्यवस्था ज्यादा टिकाऊ नहीं होती यह कभी भी धोखा दे सकती है यह सच है कि मंदी के दौर में भी हम आर्थिक रूप से एक स्तर पर स्थिर है। इसका मूल कारण हमारी कृषि प्रधानता है क्योंकि इसमें उत्पादकता हर स्थिति में बनी रहती है और ग्राम प्राथमिक उत्पादकता अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत है। जो खेतों, वनों एवं नदियों पर निर्भर है। गांधीजी का मानना था कि ग्रामीण उत्पादकता ही आर्थिक स्थिरता ला सकती है और इसी के आधार पर अन्य आर्थिकी के आयाम तय होते हैं। ग्रामीण व्यवस्था में कुटीर उद्योगों में उत्पादक और उद्योग नजदीक होते हैं इसलिए संसाधनों का संरक्षण भी होता है और यह जितना दूर होंगे उतनी ही पारिस्थितिकी मे आर्थिक असमानता बढ़ जाती है जिससे पलायन को बढ़ावा मिलता है। ग्राम में श्रम आधारित व्यवस्थाएं रोजगार उत्पादक हैं जिसकी महत्वता समझनी चाहिए। गांधीजी ने भारत के निर्माण का जो सपना देखा था वह गांव के पुनर्निर्माण में उन्होंने ग्राम गणराज्य के रूप में स्वतंत्र भारत में राष्ट्र की कल्पना की थी। उस राष्ट्र को अंततः अपने पड़ोसियों से होते हुए वैश्विक स्तर पर परस्पर सहयोग की सबकी मित्र के रूप में एक माननीय समाज के रूप में विकसित होना था। मनुष्य जहां रहता है वहां के प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, श्रम शक्ति, मानवीय कुशलता तथा परस्पर सहयोग से जो उत्पादन हो सकता है उसी से वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित

है। गांव की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर हैं। किंतु हमारे देश में कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है, मिट्टी की उर्वरता भी लगातार घट रही है और आए दिन प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं। ऐसे में ग्रामीण परिवारों को आजीविका हेतु आय एवं रोजगार के साधन उपलब्ध कराना समय की मांग है। इसी के मद्देनजर सरकार गांवों में गैर–कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। गैर–कृषि के क्षेत्र में निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, संचार एवं यातायात, भंडारण, स्थानीय कला एवं शिल्प, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं आदि शामिल हैं।

गैर कृषि क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्रों में गैर–कृषि गतिविधियां कृषि क्षेत्र की अनिश्चितता के बीच सुरक्षा कवच का काम करती हैं। क्योंकि गैर–कृषि क्षेत्र की अधिकतर गतिविधियां अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी होती हैं, इसलिए मुख्यधारा की कृषि के साथ जोड़ने में मददगार होती हैं। इस तरह गैर–कृषि गतिविधियों से ग्रामीण परिवारों को अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने में मदद मिलती है और गांव से शहरों की ओर पलायन में भी कमी आती है। आय की निरंतरता सुनिश्चित होने से ग्रामीणों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है और राष्ट्र के विकास में मददगार बनती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढी हुई आय और रोजगार के अवसरों से न केवल आय के समान वितरण बल्कि ग्रामीण– षहरी के बीच की खाई को पाटने में भी मदद मिलती है। आजीविका की वैकल्पिक सुविधा प्रदान कर कृशि पर ग्रामीण भारत की अत्यधिक निर्भरता को कम करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण कृशि क्षेत्र का संवर्धन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा छोटे और सीमांत किसान तथा कृशि से संबंधित मजदूरों का षहरी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पलायन को भी रोका जा सकता है। पिछले तीन दषकों से ग्रामीण कृशि क्षेत्र के विकास के लिए नाबार्ड ने कई पुनर्वित्त और संवर्धनात्मक योजनाएं तैयार की है तथा क्षेत्र–स्तर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनका विस्तार करने तथा उसमें संषोधन करने के लिए अपने प्रयास भी जारी रखे हैं। ऋण के अधिक प्रवाह, वंचितों के लिए ऋण के प्रावधान तथा छोटे कुटीर और ग्रामीण उद्योगों हथकरघा, हस्तषिल्प के संयोजन हेतु प्रावधान तथा ग्रामीण अंचलों के विकेंद्रीकरण पर विषेश ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

कई गैर–कृशि गतिविधियां प्रत्यक्ष रूप से कृशि क्षेत्र से जुड़ी हैं। खाद्य प्रसंस्करण ऐसा ही एक क्षेत्र है जिसमें ग्रामीण परिवार अपने प्राथमिक उत्पादों का मूल्य–संवर्धन कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और अपने उत्पादों को राश्ट्रीय और अंतरराश्ट्रीय–स्तर पर निर्मित कर सकते हैं। आजकल स्वास्थ्यकर और पौश्टिक भोजन की मांग काफी बढ़ रही है। ऐसे में सप्लाई–चैन के आधुनिकीकरण से इस क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। भारतीय हथकरघा और हस्तषिल्प अपनी समष्द्ध कला और विरासत के चलते राश्ट्रीय और अंतरराश्ट्रीय बाजार में आसानी से अपनी जगह बना सकते हैं। परंपरागत हुनर का अस्तित्व भारत के हर प्रदेष, हर अंचल में मौजूद है। देष के तकरीबन सभी क्षेत्रों में बुने हुए वस्त्रों का सुंदर और बारीक काम होता है। उत्तर प्रदेष की जरी, चिकनकारी और गुलाबी मीनाकारी, पंजाब की फुलकारी, राजस्थान की जरी, कषीदाकारी,

गुजरात की बंधेज आदि उस समष्द्ध विरासत के कुछ गिने–चुने नाम है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने वाली यह विरासत आज गैर–कृशि क्षेत्र में ग्रामीण–जनों के लिए आय का एक वैकल्पिक साधन बन चुकी है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय कई योजनाएं चला रहा है जिससे ग्रामीण और उद्यमियों की मदद की जा सके इस क्षेत्र को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु स्वयं सहायता समूह और गैर–सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं।

ग्रामीण पर्यटन गैर–कृशि क्षेत्र गतिविधियों का एक अन्य उभरता हुआ क्षेत्र है। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के जनजीवन, कला, संस्कृति एवं विरासत से दुनिया को परिचित कराया जा सकता है। साथ ही, यह क्षेत्र देष के लिए विदेषी मुद्रा की कमाई का माध्यम भी बन सकता है। पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु अब संरचना के निर्माण से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही अन्य गैर–कृशि गतिविधियों के विकास एवं विस्तार में भी मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए केवल उद्यम विकास पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है बल्कि ग्रामीणों की मानसिकता और व्यवहार में भी बदलाव लाना महत्वपूर्ण है। इसी उद्देष्य से स्वच्छ भारत मिषन–ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और साफ–सफाई को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ग्रामीण परिवारों को अपनी आय बढ़ाने के लिए कृशि के अतिरिक्त वैकल्पिक रोजगार के अवसर मिले ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक विकास और प्रगति का लाभ देष के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

खादी एवं ग्रामोद्योगी योजनाएं–

खादी का अर्थ है कपास रेषम या उनके हाथ कती सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के धागो के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र। ग्राम उद्योग का अर्थ है ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमे स्थाई पूंजी निवेष (संयंत्र तथा मषीनरी एवं भूमि भवन में) प्रति कारीगर या कर्मी पचास हजार रुपये से अधिक ना हो। इस हेतु परिभाशित ग्रामीण क्षेत्र में समस्त राजस्व ग्राम तथा 20000 तक की आबादी वाले कस्बे सम्मिलित है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम उद्योग परियोजना को सात प्रमुख समूह में बांटा गया है।

समूह 1– खनिज आधारित उद्योग

समूह 2– वन आधारित उद्योग

समूह 3– कृशि आधारित और खाद्य उद्योग

समूह 4– बहुलक और रसायन–आधारित उद्योग

समूह 5– इंजीनियरिंग और गैर–परंपरागत ऊर्जा

समूह 6– वस्त्रोद्योग

समूह 7– सेवा उद्योग

भारत सरकार के कार्यक्रम और पहल

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मतव्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यम पर विषेश बल दिया

जा रहा है ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य उपलब्धता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। विभाग मनरेगा के अंतर्गत दिहाड़ी रोजगार के अतिरिक्त, कुषल, अर्ध–कुषल दिहाड़ी मजदूर को पीएमएवाई–ग्रामीण तथा पीएनजीएसवाई के अंतर्गत सड़क निर्माण क्षेत्र में प्रोत्साहन दे रहा है। सरकार ने रोजगार सष्जन और उद्यमिता तथा निजी निवेष को आकर्शित करने के लिए कौषल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की है। विदेषी निवेष को आकर्शित करने और मैन्युफैक्चरिंग में वष्द्धि लाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय की प्रधानमंत्री कौषल विकास योजनाओं से युवाओं को उद्योग से संबंधित दक्षता का प्रषिक्षण और अपनी रोजगार परखता में सुधार करने का मौका मिल रहा है। युवा वर्ग श्रम बाजार में प्रतिस्पध र्ा के लिए तैयार हो सके, इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध कराए हैं जैसे राश्ट्रीय प्रषिक्षुता, प्रषिक्षण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौषल योजना, राश्ट्रीय षहरी जीविकोपार्जन मिषन और राश्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिषन। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राश्ट्रीय कार्य सेवा का उद्देष्य पारदर्षी और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से रोजगार से मेल खाने वाली सेवाएं प्रदान करना है।

स्वरोजगार भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल में रहा है। खासतौर पर ग्रामीण हिस्से में यह स्वाभाविक तौर पर विकसित हुआ। कुटीर उद्योग या आज की भाशा में कहें तो सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योगों ने देष की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। आज भी देष की अर्थव्यवस्था की विकास दर इसी लघु उद्योग क्षेत्र पर काफी हद तक निर्भर करती है। भारत जैसे विविधता पूर्ण देष में लघु उद्योगों ने समाज में आर्थिक रूप से बने अंतर को एक सीमा में रखने में तो मदद की। लेकिन यह विडंबना है कि यह क्षेत्र ग्रामीण भारत में इतने वर्शों के बाद भी कृशि क्षेत्र पर लोगों की निर्भरता को खत्म नहीं कर पाया है। आज भी भारत की दो तिहाई आबादी गांवों में रहती है। लेकिन ग्रामीण भारत पूरी तरह खेती पर ही निर्भर है। आजादी के सात दषक बीतने के बाद भी ग्रामीण भारत में ऐसे वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो पाए हैं जिनसे लोगों की खेती पर निर्भरता कम हो। यह सार्वभौमिक तथ्य है कि जहां श्रमबल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पूंजी का अभाव है, वहां भी लघु और कुटीर उद्योग विकसित नहीं हो पाए हैं। इस वजह से बहुसंख्यक ग्रामीणों की आर्थिक समस्या का निराकरण भी अभी तक नहीं हो पाया है। सभी जानते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योगों में कम पूंजी की मदद से अध िक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यही नहीं, इसके जरिए अधिक मात्रा में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र के लिए अभी तक स्वरोजगार के इच्छुक लोग सस्ते और आसान कर्ज की उपलब्धता से वंचित रहे हैं।

यह कहना भी गलत होगा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी तक प्रयास नहीं हुए देष के स्वतंत्र होने के बाद से ही लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयास षुरू हो गए थे। आजादी के एक वर्श बाद ही 1948 में देष में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हो गई थी और पहली पंचवर्शीय योजना के दौरान ही उनके विकास की दिषा में 42 करोड़ की राषि खर्च की गई आने वाले वर्शों में औद्योगिक नीति के जरिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को काफी महत्व दिया गया।

सबके मिले–जुले प्रयासों से लघु उद्योगों की प्रगति हुई तथा इससे देष में बेरोजगारी दूर करने तथा अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी काफी मदद मिली है। लेकिन इन उपायों के बावजूद इस क्षेत्र मे विकास की रफ्तार बहुत अधिक तीव्र नहीं हो सकी। इतने प्रयासों के बावजूद लघु और कुटीर ग्रामीण उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती का प्रमुख पर्याय नहीं बन पाए। जबकि इसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए देष के ग्रामीण और षहरी क्षेत्रों में पर्याप्त बाजार उपलब्ध था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 20 प्रतिषत कपड़ों का उत्पादन हथकरघा क्षेत्रों में होता है, षेश 80 प्रतिषत कपड़ों का उत्पादन मिल या पावर लूम क्षेत्र में होता है। जो 20 प्रतिषत उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में होता है, उस पर संकट के बादल घिरे रहते हैं। गांधी जी का कहना था कि हकरघे के लिए सूत की हाथ की कताई अक्षरो जैसी होनी चाहिए। अगर गांधीजी के सुझाव पर अमल किया जाता तो हाथ से बुने कपड़े का उत्पादन 1 प्रतिषत से भी कम के स्थान पर 20 प्रतिषत या उससे अधिक हो जाए। गांवों में घर–घर में हथकरघा विकास के लिए अधिक सुदृढ़ प्रयास करने की आवष्यकता है।

षिक्षित युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिए चुनौती है, साथ ही देष के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसे दूर करने के लिए सरकार को निरंतर प्रयास करने पड़ रहे हैं। यह सत्य है कि बड़े पैमाने के उद्योग देष में सभी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते। भारतीय कृशि पर जनसंख्या का बोझ पहले से अधिक है जिसे कम किए बिना कृशि उद्योगों में कुषलता नहीं आ सकती। अतः इतनी विषाल जनसंख्या को काम देने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि देष में लघु एवं कुटीर उद्योग का पर्याप्त विकास किया जाए। ग्रामीण भारत में औसतन खेतों का आकार इतना छोटा है कि एक किसान परिवार का पालन पोशण नहीं कर सकता। भारत के कुछ भागों में जहां एक ही फसल होती है, वहां कृशकों की दषा और भी खराब है। यदि पषु पालन आदि धंधों का सहारा ना मिले तो वह अपना गुजारा भी नहीं कर सकते। अतः कृशि के सहायक धंधों के रूप में लघु एवं कुटीर उद्योग का विषेश महत्व है।

सरकार निरंतर आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए उपाय कर रही है। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जब तक देष की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सतत रफ्तार का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इस लक्ष्य को पाना संभव नहीं है। चालू वित्त वर्श की पहली तिमाही में कृशि क्षेत्र की विकास दर उल्लेखनीय रही है। लेकिन एक वर्श की किसी एक तिमाही में कृशि व अन्य सहायक उद्योगों की तेज विकास दर पूरे वर्श के आर्थिक विकास का संबल नहीं बन सकती। इसलिए यह आवष्यक है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूरा भार केवल बड़े उद्योगों पर ना रहे, बल्कि इस क्षेत्र में लघु एवं सूक्ष्म तथा कुटीर उद्योगों के विकास की नीति पर बल दिया जाए। ग्रामीण युवाओं को न केवल स्वरोजगार के माध्यम से विभिन्न उद्यमों की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाए बल्कि वहां उसके अनुकूल पूरा ढांचा तैयार किया जाए ताकि उनकी विभिन्न आवष्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर ही हो जाए। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले अनावष्यक पलायन को भी रोका जा सकेगा।

ग्रामीण स्वछता–

गाधी जी कहते है कि ''मानव जाति के लिए साधारणतः स्वास्थ्य का पहला नियम यह है कि निरोग षरीर में निर्विकार मन का वास होता है यह एक षाष्वत सत्य है। मन और मानव षरीर के बीच अटूट संबंध है। अगर हमारा मन निर्विकार यानी निरोग हो तो वह हर तरह की हिंसा से मुक्त हो जाए फिर हमारे हाथों तंदुरुस्ती के नियमों का पालन सहज भाव से होने लगे और किसी तरह की खास कोषिष के बिना ही हमारा षरीर तंदुरुस्त रहने लगे। मेरी राय में जिस जगह षरीर– सफाई, घर–सफाई और ग्राम–सफाई हो, वहां कम से कम बीमारी होती है। अगर ग्रामवासी इतनी बात समझ जाएं तो उन्हें वैद्य, हकीम या डॉक्टर की जरूरत नहीं रह जाए।''

स्वच्छता के मामले में हमारे गांव कैसे थे? देष के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करने वाले गांधी जी का अनुभव क्या कहता है? उन्होंने बताया कि देष में जगह–जगह सुहावने और मनभावन छोटे–छोटे गांवों के बदले हमें घूरे–जैसे गांव देखने को मिलते हैं। इन गांवो के बारे में वह पूरी साफगोई से कहते हैं कि बहुत से या यूं कहिए कि करीब करीब सभी गांवों में घुसते समय जो अनुभव होता है उससे दिल को खुषी नहीं होती। इसकी वजह क्या है? गांव को केंद्र में रखकर अपना सुपर रचनेवाले गांधीजी गावों के बारे में ऐसा ख्याल क्यों रखते हैं? कारण है अतिषय गंदगी और इससे जनित बदबू। उन्होंने लिखा है कि गांव के बाहर और आसपास इतनी गंदगी होती है और वहां इतनी बदबू होती है कि अक्सर गांव में जाने वाले को आंख मूंदकर और नाक दबा कर जाना पड़ता है। दो दषकों से अधिक समय तक बाहर रहने के पष्चात जब 1915 में गांधी जी ने स्वदेष वापसी की और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृश्ण गोखले के आदेष पर साल भर भारत भ्रमण किया और सार्वजनिक प्रष्नों पर मौन रखा। एक वर्श बाद बनारस हिंदू विष्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर अपना पहला सार्वजनिक भाशण 4 फरवरी 1916 को किया। इस बहुचर्चित भाशण में भी उन्होंने स्वच्छता का प्रष्न खड़ा किया और उसे स्वराज के साथ जोड़ा। गांव और षहर की गलियां ही नहीं बड़े–बड़े मंदिरों के आसपास भी बदबूदार गंदी नालियों की तरफ ध्यान आकृश्ट करते हुए उन्होंने कहा कि स्वराज की दिषा में बढ़ने के लिए हमें इन सारी बातो को सुधारना होगा।

प्रष्न उठता है कि हमारे गांव की ऐसी दषा क्यों थी? गांधीजी के मुताबिक इसका कारण है श्रम और बुद्धि के बीच अलगाव। इसलिए हम गांवों के प्रति लापरवाह हो गए हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति का जिस दिषा में विकास हुआ है उसमें मानसिक श्रम और षारीरिक श्रम के बीच खाई बढ़ती गई है। आलम यह है कि मानसिक श्रम को षारीरिक श्रम की तुलना में श्रेश्ठ भी मान लिया गया है। नतीजन बौद्धिक श्रम करने वालों को श्रेश्ठ और षरीर श्रम करने वालों को निम्न की समझ विकसित हुई है। गांधीजी इस श्रम विभाजन और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न लापरवाही को गुनाह का दर्जा देते हैं। गांधीजी के लिए स्वच्छता सिर्फ स्वास्थ्य से संबंध नहीं है। वे इससे समूचे पर्यावरण से जोड़कर देखते हैं। गंदगी से पूरी परिस्थितिकी प्रभावित होती है। पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ने में इसका भी योगदान होता है। पर्यावरण को प्रदूशित करने का खामियाजा समस्त जीव जगत को उठाना पड़ता है। महत्वपूर्ण बात है कि मनुश्य के अलावा अन्य

प्राणी पर्यावरण को प्रदूशित नहीं करते हैं। पृथ्वी के सबसे विवेकवान मनुश्य ऐसा करते हैं। गांध ाी जी ने लिखा है कि अपनी गंदी आदतों से हम अपनी पवित्र नदियों के किनारे बिगड़ते हैं। मक्खियों की पैदाइष के लिए बढ़िया जमीन तैयार करते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारी दंडनीय लापरवाही के कारण जो मक्खियां खुले मैलो पर बैठती हैं वे ही हमारे नहाने के बाद हमारे षरीर पर बैठती हैं और उसे गंदा बनाती हैं गांधीजी के मुताबिक जहां तहां षौच के लिए बैठ जाना, नाक साफ करना या सड़क पर थूकना ईष्वर और मानव जाति के लिए अपराध है और दूसरों के प्रति लिहाज की दयनीय कमी प्रकट करता है। जो आदमी अपनी गंदगी को ढकता नहीं वह भारी सजा का पात्र है फिर चाहे वह जंगल में ही क्यों ना रहता हो। स्पश्ट है कि गंदगी चाहे घनी आबादी में फैलाई जाए या गांव कस्बों से दूर जंगल में अक्ष्मय है। उनकी नजर में ऐसी गंदगी फैलाना ने सिर्फ मनुश्य जाति बल्कि ईष्वर के खिलाफ अपराध है। जाहिर है गांधीजी गंदगी को कितना संगीन समझते थे।

गांधीजी ग्रामीण अस्वच्छता को लेकर मात्र चिंता प्रकट नहीं करते अपितु निदान की राहे भी सुझाते हैं। 15 फरवरी 1935 के हरिजन सेवक में वे कहते हैं कि सब प्रकार का कूड़ा करकट हटा कर स्वच्छ बना लेना चाहिए। फिर इस कूड़े का वर्गीकरण कर देना चाहिए। इसमें से कुछ का तो खाद बनाया जा सकता है कुछ–कुछ सिर्फ जमीन में गाड़ देना भर काफी होगा और कुछ ऐसा होगा कि जो सीधा संपत्ति के रूप में परिवर्तित किया जा सकेगा। जिससे बहुत सी चीजें बनाई जा सकेंगी, खाद बनाया जा सकेगा। फटे पुरानी चिथड़ो तथा रद्दी कागजों से कागज बनाए जा सकते हैं और इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ मल मूत्र गांव के खेतों के लिए सुनहले खाद का काम देगा। गंदगी फैलाने वाले अपषिश्ट भी इस प्रकार उपयोगी साबित होंगे साथ ही उर्वरा षक्ति बनाएंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे। गांधी जी ने न सिर्फ सलाह देते हैं बल्कि अमल में लाने का तरीका भी सुझाते है।

गांधी जी के स्वच्छता संबंधी विचारों की खासियत यह भी है कि इसे लागू करने के लिए बाहर से आए व्यक्तियों की जरूरत नहीं है। जहां गंदगी है वहीं के लोग स्वच्छ बनाएंगे। उन्होंने ग्रामीण स्वच्छता के लिए ग्रामसेवक, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत पर जोर दिया है। स्पश्ट है कि सभी गांव की सीमा में रहने वाले लोग हैं। इस सोच की दूसरी विषेशता यह है कि इसमें सफाई के लिए किसी खास समुदाय की तरफ संकेत मात्र भी नहीं किया गया है। इसके हिसाब से सफाई सबका निजी एवं सार्वजनिक कर्म और धर्म होना चाहिए। इस के आरंभ के लिए वे जिस तबके की तरफ इषारा करते हैं और जिससे सर्वाधिक अपेक्षा करते हैं वह है कार्यकर्ता। राश्ट्रीय आंदोलन के दौर में गांधीजी की प्रेरणा प्रभाव से कार्यकर्ताओं की पूरी फौज तैयार हुई थी। हालांकि वे भी प्रदत्त सामान्य बुद्ध के असर में थे इसलिए गांधी जी को कहना पड़ा कि अगर ऐसे उत्साही कार्यकर्ता मिल जाए जो झाड़ू और फावड़े को भी उतना ही आराम और गर्व के साथ हाथ में ले लेंगे जैसे की कलम और पेंसिल लेते हैं तो इस कार्य में खर्च का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। अगर किसी खर्च की जरूरत पड़ेगी भी तो वह केवल झाड़ू, फावड़ा, टोकरी, कुदाली और षायद कुछ कीटनाषक दवाइयां खरीदने तक ही सीमित रहेगा। सूखी राख

संभवत उतनी ही अच्छी कीटाणु नाषक दवा है जितनी कोई रसायनषास्त्री दे सकता है। गांध ाी जी के सपनों का गांव बिल्कुल स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर होगा। दरअसल उनके चिंतन में जिस गांव और ग्रामीण समाज की बार–बार चर्चा मिलती है वह कल्पित है। यह गांधीजी का स्वप्नलोक है जिसको समझे बगैर उनकी आलोचना होती है। अगर हम यह रास्ता अपनाए होते तो हम पर्यावरण संकट से बचते, बेरोजगारी दूर करते और समाज में जो नफरत हिंसा विद्वेश फैल रहा है उसके बदले एक सहयोगी समाज का रूप खड़ा कर लेते। गांधीजी की स्वराज्य परिकल्पना के पीछे अधिकार विकेंद्रीकरण की बात थी जिसका आष्य दरिद्रता नियोजन से संबंधित था। कृ शि का विकास तथा उत्थान उनका लक्ष्य था। स्वावलंबन गांधीजी के विकास का केंद्र बिंदु था जो जनभागीदारी पर आधारित हो।

गांधीजी गांवों के अंधाधुंध दोहन के विरोधी थे औद्योगिकरण जब बड़े स्तर पर होता है तो सीध ो या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण व्यवस्था षोशित होती है। यदि ग्रामीण आवष्यकता का निर्माण उनसे स्वयं कराया जाए तो श्रम आधारित व्यवस्था से सषक्तिकरण होगा और भोजन तथा कपड़ों पर प्रत्येक ग्रामीण का अधिकार होगा। यह आत्मनिर्भरता का मूल है जिससे असली स्वराज संभव है। ग्रामीण व्यवस्था अपने नियम खुद बनाए उन्हे आत्म निर्णय के लिए सक्षम बनाना होगा। कृशि आधारित उद्योगों में रोजगार पैदा करने तथा स्वरोजगार की जबरदस्त संभावनाएं हैं। साथ ही यह उद्योग विदेषी मुद्रा कमाने का भी अहम जरिया है। किंतु घरेलू और अंतरराश्ट्रीय बाजार में इन उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और उसके मूल्य संवर्धन के लिए सरकार को कई अन्य मोर्चों पर भी काम करना होगा। इन लघु उद्योगों को संगठित करने के साथ–साथ कौषल और जरूरी तकनीकी विकास करना होगा ताकि यह बाजार में पहचान बना सकें सभी प्रकार की मार्केटिंग इकाईयों का नवीनीकरण किए जाने की आवष्यकता है चूंकि कृशि आधारित उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के हैं। इनमें प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता नहीं है ऐसे में सरकार की भूमिका काफी अहम हो जाती है।सरकार को इस दिषा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे गांव के लोग और ग्रामीण समाज महात्मा गांधी के चिंतन दर्षन के केंद्र में रहे। भारत की आत्मा, चरित्र, प्रकृति एवं मनोभावों को देखने समझने के लिए बार–बार गांधीजी गांव पर जोर देते रहे हैं। यही वजह है कि सार्वजनिक जीवन में प्रवेष के पष्चात जब उन्होंने भारत के बारे में विचार किया गांव कभी उनकी चिंता से ओझल नहीं हुए। गांधी जी के चिंतन और चिंता के साथ ही भावी भारत के उनके स्वप्न की बुनियाद में भी गांव है, लिहाजा यह कहना सही होगा कि उनकी कामना जमीन पर कितनी फलीभूत हुई इसे परखना हो तो देखना होगा कि बुनियाद कितनी बुलंद है। गांव, ग्रामीण लोग और ग्रामीण समाज की बुलंदी के आधार पर गांधी जी के सपनों का भारत का मूल्यांकन किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

गिरी राजीव रंजन, "ग्रामीण स्वच्छता और गांधीजी" 2016,कुरुक्षेत्र, अंक 12 पष्ठ संख्या 40 से 45

महात्मा गांधी, हरिजन सेवक, 7–4– 1946 पष्ठ संख्या 69

हेना नकवी, "गैर कृशि क्षेत्र के महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता" 2019 कुरुक्षेत्र, अंक 9 जुलाई, पष्ठ संख्या 23

अमरजीत सिन्हा "गरीबी से निपटने के कारगर उपाय", 2019 कुरुक्षेत्र, अंक 11 पष्ठ संख्या 5–8

अनिल प्रकाष जोषी, "गांधी ने गावों को जोर क्यों दिया", अमर उजाला, 6 अक्टूबर 2019 पष्ठ संख्या 2

रामचंद्र राही, "समाधान के साथ खड़े गांधी", अमर उजाला, 2 अक्टूबर 2019, पष्ठ संख्या 10

ग्रामीण विकास, "आत्मनिर्भरता से ही गांव के उत्थान का सिद्धांत", हिंदुस्तान, 2 अक्टूबर 2019 पष्ठ संख्या 8–9

मोहनदास करमचंद गांधी," स्वाबलंबन के लिए षिक्षा", अंतिम जन, 2013, अंक 12 पष्ठ संख्या 7–12

वीरेंद्र कुमार, ''कृशि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं'', 2019, कुरुक्षेत्र ,अंक–2 , दिसंबर, पष्ठ संख्या 33–37.